

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चिनाम्बा..... व भू अभिलेख निरीक्षक चिनाम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिनाम्बा पटवार हल्का चिनाम्बा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०५३-५४ में खाता संख्या २२ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>चिनाम्बा</u>	22	<u>इस्माइल गनी पिता कासम खीपा</u>	<u>इस्माइल मोहम्मद पिता कासम खीपा गनी मोहम्मद पिता कासम खीपा</u>

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2023 / 54

दिनांक:- 21/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री इस्माइल मोहम्मद पिता कासम खीपा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा